प्रेषक,

जिलाधिकारी
बागपत।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, फरीदकोट हाउस,
कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।

पत्रांक 1727/एम0सी0–खनन अनुभाग/2024 दिनांक 12 जनवरी, 2024

विषय :– **ओरिजनल एप्लिकेशन संख्या 410/2023, विपिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य ओरिजनल एप्लिकेशन संख्या 411/2023, बिजेन्द्र धामा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 आयोग के समक्ष गत सुनवाई दिनांक 9–11–2023 को मा0 आयोग द्वारा पारित निम्नवत् आदेश का संज्ञान लेने का कष्ट करें –

"The UPPCB is directed to file an action taken report in this regard within 8 weeks. Similarly, the fresh action taken report by the District Magistrate, Baghpat be also filed within 8 weeks".

2– उपरोक्त आदेश के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभारी अधिकारी खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बागपत एवं खनन अधिकारी बागपत से प्रकरण की विस्तृत आख्या प्राप्त की गयी। प्रभारी अधिकारी खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बागपत एवं खनन अधिकारी बागपत द्वारा संयुक्त आख्या दिनांक 11–1–2024 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी। आख्या की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु (संलग्नक 1) अवलोकनीय है।

3– संलग्न आख्या अनुसार ग्राम सुभानपुर तहसील खेकड़ा में गाटा संख्या 397, 398, 399, 400 कुल रकबा 1.390 हे0 पर दिनांक 26–4–2023 को निर्गत अनुज्ञा पत्र के माध्यम से मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 को तीन माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश खनिज नियमावली के नियम 52 के अंतर्गत कृषि भूमि को सुविधा प्रदान करने के लिए खेत में बाढ़ उपरांत आयी बालू को हटाने के लिए अनुज्ञा पत्र दिया गया था। उक्त अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा किए जाने का तथ्य दिनांक 6–6–2023 को उप जिला मजिस्ट्रेट खेकड़ा की रिपोर्ट में आया (**संलग्नक–2**) अवलोकनीय है, जिसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध खनन अधिनियम एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं की अंतर्गत कार्यवाही की गयी तथा मौके पर चल रहे कार्य को इस कारण से भी बंद कर दिया गया कि अनुज्ञा पत्र में दी गयी शर्तों के अनुरूप दिए गए 20,000 घन मीटर की मात्रा के सापेक्ष अनुज्ञापत्र धारक द्वारा दो गुना से अधिक का अवैध रूप से खनन किया जा चुका था।

4– उपरोक्त तथ्य संज्ञान में आने पर तथा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के फलस्वरुप थाना खेकड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 220/2023 भी दर्ज किया गया तथा 50 डम्फर, 12

पोर्कलेन तथा 01 कार इत्यादि वाहन पुलिस द्वारा सीज किये गयें। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति **(संलग्नक 3)** अवलोकनीय है। मौके पर पाए गए अवैध खनन के सापेक्ष वैज्ञानिक विधि से जॉच खान अधिकारी गौतमबुद्ध नगर, वरिष्ठ सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, तत्कालीन खान अधिकारी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। रिपोर्ट में इंगित तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरान्त मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के विरुद्ध आदेश पत्रांक 905/ख0लि0–अनुमति दिनांक 12–7–2023 के द्वारा अनुज्ञप्ति को समाप्त करते हुए आदेश पत्रांक 48/ख0लि0–/2023–24/वसूली मांगपत्र दिनांक 17–7–2023 के द्वारा अंकन कुल 1,07,06,620 (एक करोड़ सात लाख छः हजार छः सौ बीस रुपये मात्र) का वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति **(संलग्नक 4)** अवलोकनीय है।

5– उपरोक्त आदेश दिनांक 12–7–2023 से क्षुब्ध होकर मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सी याचिका संख्या 27135/2023 योजित की गयी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 12–7–2023 निरस्त करते हुए नवीन स्वमुखरित आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 का पुनः पक्ष सुनते हुए कार्यालय पत्र संख्या 1630/एम0सी0–खनन अनुभाग/2023 दिनांक 20–12–2023 द्वारा विस्तृत आदेश पारित किये गये तथा यह अवधारित किया गया कि वस्तुतः मौके पर हो रहा अवैध खनन मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा ही किया गया तथा इसके फल स्वरुप अंकन कुल 1,07,06,620 (एक करोड़ सात लाख छः हजार छः सौ बीस रुपए मात्र) की देयता अवधारित की गयी जिसकी प्रति **(संलग्नक 5)** अवलोकनीय है। यह विदित है कि विपक्षी द्वारा यदि जुर्माने की धनराशि 30 दिन के अन्दर जमा नही की जाती है तो भू–राजस्व के प्राविधानों के तहत वसूली हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

6– महोदय उपरोक्त विवरण अनुसार इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत दिनांक 18–05–2023 का निराकरण उप जिला मजिस्ट्रेट खेकड़ा की जांच में मौके पर अवैध खनन की पुष्टि होने के उपरान्त मौके पर अवैध खनन का कार्य तत्समय ही बंद कराते ही कर दिया गया था और प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपराध संख्या 220/2023 में विवेचक द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर सक्षम फौजदारी न्यायालय द्वारा विपक्षी मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के विरुद्ध विधिक निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

7– महोदय, यह भी उल्लेखनीय कि उक्त विषय में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा आख्या दिनांक 09–1–2024 प्रस्तुत की गयी है जिसमें विपक्षी मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के विरुद्ध पर्यावरण प्रदूषण के प्रावधानों के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस दिनांक 13–10–2023 को निर्गत किया गया तथा अग्रेतर कार्यवाही करते हुए नोटिस की पुष्टि हेतु कार्यालय पत्रांक 1127/जी/ओए–410/विपिन/2023 दिनांक 29–12–2023 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ का संस्तुत किया गया। जिसे मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 05484 / सी–3 / जल–766 / मेरठ / 2024 दिनांक 10–1–2024 द्वारा अधिकृत किया गया। प्रति **(संलग्नक 6)** अवलोकनीय है।

महोदय उपर्युक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 9–11–2023 के आदेश के क्रम में अद्यतन अनुपालन आख्या (ATR) कृपया अवलोकनार्थ प्रेषित है।

12.01.24

(जितेन्द्र प्रताप सिंह),
जिलाधिकारी
बागपत।

पत्रांक /एम0सी0–खनन अनुभाग / 2024 दिनांक जनवरी, 2024

प्रतिलिपि :– अपर जिलाधिकारी (वि / रा) – प्रभारी अधिकारी खनन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 :– जिला खनन अधिकारी बागपत को उपरोक्त की एक प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नामित अधिवक्ता के माध्यम से अद्यतन अनुपालन आख्या (ATR) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
बागपत।

सलंग्नक-1

जिलाधिकारी,
बागपत।

महोदय,

कृपया जनपद–बागपत से सम्बन्धित ओरिजनल एप्लिकेशन संख्या–410/2023, विपिन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 09.11.2023 को आदेश पारित करते हुए fresh action taken report प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा एप्लिकेशन संख्या–410/2023 में पूर्व पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 व दिनांक 19.10.2023 के अनुपालन में आख्या दिनांक 09.10.2023 व दिनांक 06.11.2023 को प्रेषित की जा चुकी है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण में दिनांक 09.11.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराया गया है कि–

01– मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रचर प्रा0लि0 निवासी 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा को ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399, 400 कुल 04 गाटा रकबा 1.3900 है0 से साधारण बालू उठाने हेतु सहमति–पत्र दिनांक 13.04.2023 को निर्गत किया गया है। दिनांक 26.04.2023 को दिनांक 27.04.2023 से तीन माह के लिए अनुज्ञा–पत्र निर्गत किया गया। अनुज्ञा–पत्रधारक के कार्य क्षेत्र की जॉच आकस्मिक रूप से उपजिलाधिकारी, खेकडा द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किये जाने पर पृथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा नियमों व प्रकिया के विपरीत खनन का कार्य किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत द्वारा मु0अ0सं0 220/23 अन्तर्गत धारा–379, 411 भा0दं0सं0, धारा 4/21 खान व खनिज (विकास का विनियमन) अधि0 व धारा 3(1), 72(1) उ0प्र0 उपखनिज(परिहार) नियमावली 2021 व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना खेकडा, जिला बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और उसमें 50 से भी अधिक उन वाहनों का भी उल्लेख है, जो मौके पर अवैध खनन कार्यो में लिप्त पाये गये। प्रश्नगत बालू खनन दिनांक 06.06.2023 को बन्द कराया गया था। खनन बन्द होने के बाद से ग्राम सुभानपुर में कोई वैध/अवैध बालू खनन नही हुआ है। जिसकी पुष्टि स्थानीय निवासियों द्वारा भी की गयी।

02– यह कि उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 809/ख0लि0/2023 दिनांक 09 जून, 2023 के द्वारा मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था। जिसका प्रतिउत्तर मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा दिनांक 23.06.2023 को दिया गया। अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत उत्तर से असंतुष्ट होने पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका प्रतिउत्तर निरस्त कर दिया गया तथा अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने के दृष्टिगत मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा निवासी ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पक्ष में **ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20,000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक स्वीकृत अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से कार्यालय आदेश संख्या 905/ख0लि0–अनुमति दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया गया तथा** अंकन 1,07,06,620/–(एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र) का वसूली मांग–पत्र जारी किया गया।

03– कार्यालय आदेश दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 27135/2023 मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व 5 अन्य योजित की गयी थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये–"In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 connot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, Quash the order dated 12th July, 2023 and remand the

--------क्रमशः2 पर

matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the petitioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order"

"We also make it clear that such documents which have been received by the petitioner by way of instructions, which the learned Standing Counsel had supplied on 8th August, 2023 and 5th September, 2023 and did not form a part of notice, may also be explained by the petitioner by an additional reply"

04- यह कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को पुनः अपना लिखित कथन/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.11.20223 को नोटिस निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 09.11.2023 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

05– यह कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 09.11.2023 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य सामने आया कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत आवंटित अनुज्ञा पत्र के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए स्वचलित मशीनों जैसे पौर्कलेन आदि के माध्यम से नियम व प्रकिया के विपरीत जाकर खनन कार्य किया गया है। कुल आवंटन 20000 घनमीटर के सापेक्ष निरीक्षण के दिनांक तक ही 44623 घनमीटर बालू का खनन व परिवहन कार्य किया जाना पाया गया है, जो कि आवंटित मात्रा के दो गुना से भी अधिक है। ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 के स्थान पर 72316 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 22073 है0 में खनन किया गया है, जो कि आवंटन क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक है तथा अनुमति प्राप्त क्षेत्र से बाहर है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा अनियमित खनन व परिवहन करने वाले अन्य वाहन स्वामियों के चालको से साज करके आवंटन के विपरीत व मानको के विपरीत खनन कार्य किया गया है, जो कि अविधिक है व खनन नियमावली व स्थनीय क्षेत्र की परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा किये गये अनियमित कार्यो की गंभीरता व मौके पर पकडे गये वाहनो की संख्या व खनन विभाग के वरिष्ठ सर्वेक्षक एवं अन्य व्यक्तियों की सयुंक्त आख्या में इंगित किये गये क्षेत्रफल इत्यादि से भी यह विदित होता है कि आपके द्वारा आवंटन के समस्त प्राविधानो के विपरीत अनियमित कार्य करते हुए राजस्व की भारी क्षति की गयी है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को निर्गत परमिट समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

06– यह कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर दिनांक 21.06.2023 एवं 09.11.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खनन व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी द्वारा बालू की रायल्टी दर रूपये 65/–प्रति घनमीटर की दर से 24623 घनमीटर साधारण बालू के लिए अवैध खनन की रायल्टी दर व मूल्य अंकन 96,02,970/–रूपये (छियानवे लाख दो हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) व अर्थदण्ड 5 लाख रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन रूपये 11,03,650/–(ग्यारह लाख तीन हजार छः सौ पचास रूपये मात्र) कुल अंकन 1,07,06,620/–(एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र) धनराशि आरोपित करने के आदेश दिनांक 20.12.2023 को महोदय द्वारा पारित करते हुए आरोपित धनराशि एक माह के अन्दर जमा न कराये जाने की स्थिति में आरोपित धनराशि भू–राजस्व बकाया की भॉति मांग–पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 के क्रम में fresh action taken report प्रेषित किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

11/01/24 | 11/1/24
(सोमेन्द्र कुमार तिवारी)
खान अधिकारी,
बागपत।

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी (खनन)
बागपत।

संलग्नक-2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, खेकड़ा।

पत्रांकः 1952/एसटीखे–खनन जॉच–6/2023 दिनांक 06-06-2023

जिलाधिकारी,
बागपत।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 06.06.2023 को ग्राम सुभानपुर में खनन हेतु आवंटित किये गये स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि ग्राम सुभानपुर, तहसील–खेकड़ा में रेत के खनन हेतु आवन्टित किये गये खसरा नम्बरान 397, 398, 399, 400 कुल क्षेत्रफल 1.3910 हे0 से अधिक खसरा नम्बरान में खनन करने तथा दी गई अनुमति के सापेक्ष अधिक खनन किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम द्वारा मौके पर जॉच करने पर लगभग 14 हे0 भूमि पर अवैध खनन पाया गया तथा यह खनन लगभग 02 लाख घनमीटर से अधिक है। जबकि पट्टे में 20,000 घनमीटर की अनुमति है। स्थलीय निरीक्षण के समय मौके पर 50 डम्फर, 10 पोक लेन मशीन, 02 टेक्टर व 01 फोरचूनर कार राजस्व टीम द्वारा पकड़कर एस0ओ0 खेकड़ा व खान अधिकारी बागपत को सुपुर्द कर दिया गया है तथा अन्य सभी कार्यवाही खनन अधिकारी करने के लिए खनन अधिकारी को निर्देशित कर किया गया है।

कृपयाउक्त के सम्बन्ध में अवगत होने का कष्ट करें।

उपजिलाधिकारी,
खेकड़ा।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01– अपरजिलाधिकारी(वि/रा) महोदय बागपत को सादर सूचनार्थ।
02– क्षेत्राधिकारी, खेकड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03– प्रभारी निरीक्षक, थाना खेकड़ा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त को जब्त मशीन आदि को सुपुदर्गी में लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04– खान अधिकारी बागपत को इस आशय से अवैध खनन के सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
खेकड़ा।

उपजिलाधिकारी खेकड़ा
कार्यालय
जनपद–बागपत

सलंग्नक-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): बागपत
P.S. (थाना): खेकड़ा Year (वर्ष): 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0220
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 07/06/2023 22:04

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	379
2	भा दं सं 1860	411
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
5	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
6	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)
7	प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984	3/5

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 06/06/2023 Date To (दिनांक तक): 06/06/2023

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत ब्राँच फार्म -I)

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 07/06/2023 Time (समय):22:04 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 071 Date & Time (दिनांक और समय): 07/06/2023 22:04 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पश्चिम, 9 किमी Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): जंगल ग्राम सुभानपुर यमुना नदी,के किनारे

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री हवलदार यादव खान अधिकारी बागपत
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1983
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान अधिकारी बागपत,खेकड़ा,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खान अधिकारी बागपत,खेकड़ा,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-8887534807

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सुसांत पंवार अंजनीसुत प्रो0 इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0		पिता का नाम : महेश पंवार	1. 16/17,प्रथम तल सेक्टर 39, नोएडा,गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	वाहन चालक व स्वामी अज्ञात			1. अज्ञात,खेकड़ा,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र वादी - सेवा में , प्रभारी निरीक्षक , कोतावली - खेकडा , जनपद बागपत । महोदय कृपया अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी खेकडा द्वारा अपनी आख्या दिनांक 06 , (06/2023 (जो संलगन है) में उल्लेख किया है क़ि ग्राम सुभानपुर में खनन हेतु आवंटित किये गये स्थल का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि ग्राम सुभानपुर तहसील खेकड़ा में रेत के खनन हेतु आवन्टित किये गये खसरा नम्बरान 397 , 398 , 399 व 400 कुल क्षेत्रफल 1.3910 है0 से अधिक अवैध खनन पाया गया । जबकि पट्टे में 20,000 घनमीटर की अनुमति है । स्थलीय निरीक्षण के समय मौके पर 50 डम्फर 10 पोक लेन मशीन , 02 टेक्टर व 01 फोरचूनर कार राजस्व टीम द्वारा पकडकर एस ओ खेकडा व खान अधिकारी बागपत को सुपुर्द कर दिया गया है । ग्राम सुभानपुर में अंजनीसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा लि प्रो सुसांत पवार पुत्र महेश पवार 16 / 17 प्रथम तल सेक्टर 39 नोएडा के पक्ष में 03 माह हेतु गाटा संख्या 397,398, 399 व 400 कुल क्षेत्रफल 1.3910 है0 में दिनांक 27.04.2023 को बालू को हटाने के लिए खनन अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी । उपरोक्त पकड़े गये वाहनों की मुझ खान अधिकारी द्वारा जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम सुभानपुर के उक्त खसरा नम्बरो के बाहर अवैध खनन / परिवहन में संलिप्त 51 वाहन जिनके

पंजीकरण संख्या निम्न प्रकार है- (1) UP14ET1756 (2) UP17AT1626 (3) UP16DT5671 (4) UP15DT2021 (5) UP16FT7228 (6) HR55Q2414 (7) UP14HT0008 (8) HR55AG4557 (9) UP17BT9614 (10) UP16HT0116 (11) UP14HT1838 (12) UP14MT4722 (13) UP17AT4752 (14) UP81AF9347 (15) HR69D7253 (16) UP14FT2429 (17) UP14KT5339 (18) UP17AT5889 (19) UP15CT6007 (20) HR69D0481 (21) UP14HT8199 (22) UP17AT9225 (23) RJ14G9300 (24) HR55AB8143 (25) HR58C2542 (26) HR69E1452 (27) UP17BT2536 (28) HR47D1759 (29) UP17BT0823 (30) UP17AT8001 (31) UP17AT6764 (32) UP14FT4041 (33) HR63C4252 (34) UP14HT5873 (35 UP14KT2265 (36) HR55AG3808 (37) UP14 JT2781 (38) UP14KT4402 (39) UP14GT 5444 (40) HR46D7414 (41) UP17T8238 (42) UPI5CT1904 (43) UP17AT3527 (44) UP37T2686 (45) UP17BT0563 (46) UP17T8580 (47) UP17AT5788 (48) UP17AT8911 (49) HR55X4330 (50) HR5502497 (51) UP14EZ9068 मौके से पकड़ा गया उपरोक्त वाहनों में से वाहन संख्या HR55AG4557 में 12 घनमीटर साधारण बालू वाहन संख्या UP14KT5339 HR58C2542 , UP14FT4041 व वाहन संख्या UP17BT0563 जो प्रत्येक डम्फर में 28-28 घनमीटर साधारण बालू भरा है , शेष सभी वाहन खाली है तथा 12 पोकलेन मशीन कमश : (1) SANY रंग पीला मडल नंबर SY215C 9LC NUMBER 19SEYO21E87301 (2) DOOSAN MODEL0X210 NUMBER DHKCEBAVCC0005656 (3) CAT MODEL 32D3GC NUMBER CATO320DPFLD00491 (4) CAT MODEL 323D3 NUMBER CATO323DHFEY11254 (5) TATA HITACHI MODEL EX210LC SUPER MACHIN SERIL NUMBER SP21-61350 (6) CAT MODEL 320D3GC NUMBER CATO320DCFLD00374 (7) JCB TYPE JCB205 NUMBER PUNJD20AHM3031767 ENGINR.NO . 84934970 (8) CAT MODEL 320D3GC NUMBER CATO 320DAFLD00367 (9) XCMG MODEL XE210I PIN XUGB210BTNKA00683 SERIAL NO 559 / 809986000 (10) KOBELCO MODEL SK220XDLC-10 NUMBER YQ15512506 (11) TATA HITACHI MODEL EX200LC SUPER NUMBER S200 54863 (12) SANY MODEL SY210C NUMBER 21SE21A0110511 दो ट्रैक्टर (1) अर्जून 605 डी आईं (2) अर्जुन ट्रैक्टर 555 डी आई चैचिस नम्बर NNAB02357 व एक फोरचूनर कार

पंजीकरण संख्या यू पी- 14 ई क्यू-6679 खनन क्षेत्र से दूर आनन्दा आश्रम के पास पकड़ी गयी है । उपरोक्त वाहन / मशीन के चालका / स्वामियों द्वारा अपने वाहनों को खनन अनुज्ञा क्षेत्र के वाहर चोरी से अवैध खनन / परिवहन में प्रयोग किया जा रहा है । अतः अनुरोध है कि मौके पर पकड़े गए उपरोक्त वाहन / मशीन को अपनी अभिरक्षा में हुए वाहन / मशीन के चालक / स्वामियों व अनुज्ञप्ति धारक अंजनीसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रालिप्रो सुसात पंवार पुत्र महेश पंवार 16 / 17 प्रथम तल सेक्टर 39 नोएडा के विरूद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधि0 1957 तथा उप्र उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 व लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 3/5 व 379/411 भ द वि एवं अन्य सुसगत धाराओं में प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करें । नोट मै एचसी 472 मुकेश वाबू प्रमाणित करता हूं कि एफआईआर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर का0 390 चमन सिंह से शब्द व शब्द अलावा टेक्निकल फाल्ट के अंकित करायी गयी ।

13. Action taken: **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** PS KHEKRA(I (Inspector)) / 9454402966 **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** **Rank (पद):**

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS KHEKRA
Rank I (Inspector)
No. 9454402966

संलग्नक - 4

आदेश

मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 सुशांत पंवार पुत्र महेश कुमार पंवार, ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर ने यू0पी0 माइन मित्र पोर्टल पर कृषि भूमि नियम 52 के अन्तर्गत ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 10.03.2023 को आवेदन किया गया।

जिसके कम में तहसीलदार खेकडा की आख्या दिनांक 11.04.2023 व खान अधिकारी बागपत की आख्या दिनांक 15.04.2023 के आधार पर मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार नि0 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 सुशांत पंवार पुत्र महेश कुमार पंवार, ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर के पक्ष में सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20,000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु अनुज्ञप्ति दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक के लिए स्वीकृत की गयी।.

अनुज्ञा पत्र धारक के कार्य क्षेत्र की जॉच आकस्मिक रूप से उपजिलाधिकारी खेकडा द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किये जाने पर पृथमदृष्टता यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नियमों व प्रकिया के विपरीत-खनन का कार्य किया जा रहा है। तत्कम में श्री हवलदार यादव तत्कालीन खान अधिकारी बागपत, खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर व वरिष्ठ सर्वेक्षक क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद, ड्रोन व जी0पी0एस0 की सहायता से दिनांक 07.06.2023 को संयुक्त जॉच की गयी। जॉच के समय कुल क्षेत्र से हटाये गये ओवरवर्डन (मिटटी मिश्रित बालू), क्षेत्र में बनाये गये निकासी रास्ता व अनुज्ञा पत्र के स्वीकृत क्षेत्र को सम्मलित करते हुए जी0पी0एस0 के द्वारा सभी कोनो के जियो कोर्डिनेट्स लिये गये. जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 72,316 वर्गमीटर मापी गयी। इसी क्षेत्र में कुल 13 बालू खनन के पिट्स पाये गये, जिनमें कुल 22073 वर्गमीटर क्षेत्र से 44623 घनमीटर साधारण बालू का खनन व परिवहन किया जाना पाया गया। इस प्रकार अनुमन्य मात्रा से 24623 घनमीटर अधिक साधारण बालू का अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 809/ख0लि0/2023 दिनांक 9 जून 2023 के द्वारा मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था।

मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा दिनांक 23.06.2023 को नोटिस का प्रति उत्तर प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः कहा है कि सन्दर्भित नोटिस दिनांक 10.06.2023 को कम्पनी के पूर्व निदेशक श्री सुशांत पंचार के हाल निवास ए–46, मंगल भवन, सेक्टर–50, नोएडा के पते पर प्राप्त हुआ था, जो कि दिनांक 02.01.2023 को ही निदेशक पद से त्याग–पत्र दे चुके है। दिनांक 07.06.2023 को कम्पनी को दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिली की प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है परन्तु कम्पनी द्वारा अनुमति से अधिक खनन कार्य करने के कारण, मौके पर उपजिलाधिकारी एवं कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा 50 डम्पर एवं 12 पोर्कलेन सहित एक फॉर्च्यूनर कार सहित कुछ ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किए गए है। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो कोई अनुज्ञा हेतु आवेदन ही दिया है एवं न ही अनुज्ञा हेतु कोई रायल्टी ही जमा की गई है।

उक्त नोटिस के प्रति उत्तर के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा किये गये आवेदन एवं तहसीलदार खेकडा की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट है कि मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 के डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार द्वारा उक्त गाटाओं से बालू हटाने हेतु दिनांक 10.03.2023 को आनलाइन आवेदन किया गया जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा अपना व अन्य सहखातेदारो का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है इसके अतिरिक्त सुशांत पंवार द्वारा अपने आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की छाया प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार उनका यह कथन कि कम्पनी द्वारा न तो कोई अनुज्ञा हेतु आवेदन ही दिया है एवं न ही अनुज्ञा हेतु कोई रायल्टी ही जमा की गई है निराधार है। इस प्रकार उनके द्वारा नोटिस के सापेक्ष कोई संतोषजनक जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन किया गया है।

अतः प्रश्नगत अनुज्ञप्ति धारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने के दृष्टिगत मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर के पक्ष में ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20,000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक स्वीकृत अनुज्ञप्ति को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

12.07.2023

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत।

पत्रांकः 905 /ख0लि0–अनुमति दिनांक 12-7-23

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
2– पुलिस अधीक्षक, बागपत।
3– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, खनिज कलेक्ट्रेट, बागपत।
4– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तहसील खेकड़ा।
5– क्षेत्राधिकारी पुलिस, खेकड़ा।
6– खान अधिकारी, बागपत।
7– अनुज्ञप्ति धारक मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 डायरेटर सुसांत पंवार पुत्र महेश पंवार नि0 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 सुशांत पंवार पुत्र महेश कुमार पंवार, ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर

जिलाधिकारी,
बागपत

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत (उत्तर प्रदेश)
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 48 /ख0लि0–/2023–24/वसूली मांगपत्र दिनांक 17-7-23

वसूली मांगपत्र

जिलाधिकारी/कलेक्टर
जिला नोएडा, गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)

महोदय,

जनपद बागपत के साधारण बालू के अनुज्ञा पत्र क्षेत्र सुभानपुर के अनुज्ञप्तिधारक मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 सुशांत पंवार पुत्र महेश कुमार पंवार, ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश) द्वारा खनन अनुज्ञा क्षेत्र में किये गये अवैध खनन की रायल्टी, खनिमुख मूल्य तथा अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 58 के अर्न्तगत भू–राजस्व की भांति वसूल किये जाने योग्य है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	बकायेदार का नाम व पता	धनराशि	धनराशि के बकाया का समय
1	2	3	4
1	मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा नि0 सुशांत पंवार पुत्र महेश कुमार पंवार, ए046 मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्धनगर (उत्तर प्रदेश)।	1,07,06,620/– (एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र)	धनराशि अधिरोपण की तिथि 09.06.2023 से भुगतान की तिथि तक ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से लिया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1980 के अन्तर्गत (जो रेवेन्यू रिकवरी एक्ट उत्तर प्रदेश 1955 का संशोधन है) भूराजस्व की भांति वसूल कराने का कष्ट करें तथा वसूल की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (ON DEMAND PAY- जिलाधिकारी बागपत), इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

17/7/23

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)–प्रभारी
अधिकारी खनिज
बागपत

सलग्नक–5

आदेश

मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर निवासी 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा एवं ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पक्ष में ग्राम–सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 एवं 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु तहसीलदार, खेकडा की आख्या दिनांक 11.04.2023 व खान अधिकारी, बागपत की आख्या दिनांक 15.04.2023 के आधार पर अनुज्ञप्ति दिनांक 27.04.2023 से 03 माह तक के लिए स्वीकृत की गयी। अनुज्ञप्ति स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

01– दिनांक 06.06.2023 को उपजिलाधिकारी, खेकडा द्वारा अनुज्ञापत्रधारक के कार्य क्षेत्र की जॉच आकस्मिक रूप से किये जाने पर प्रथमदृष्टया यह ज्ञात हुआ कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा नियमों/शर्तो व प्रकिया के विपरीत खनन कार्य किया जा रहा है। तत्क्रम में श्री हवलदार सिंह यादव तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत, खान अधिकारी, गौतमबुद्धनगर व वरिष्ठ सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा ड्रोन व जी0पी0 एस0 की सहायता से दिनांक 07.06.2023 को सयुंक्त जॉच की गयी। जॉच के समय कुल क्षेत्र से हटाये गये ओवरबर्डन (मिट्टी मिश्रित बालू) क्षेत्र में बनाये गये निकासी रास्ता व अनुज्ञा–पत्र के स्वीकृत क्षेत्र को सम्मलित करते हुए जी0पी0एस0 के द्वारा सभी कोर्नर के जियो कोर्डिनेटस लिये गये, जिसके अनुसार कुल क्षेत्रफल 72, 316 वर्गमीटर मापी गयी। इसी क्षेत्र में कुल 13 बालू खनन के पिट्स पाये गये, जिनमें कुल 22073 वर्गमीटर पाया गया। इस प्रकार अनुमन्य मात्रा से 24623 घनमीटर अधिक साधारण बालू का अवैध रूप से खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया।

02– प्रकरण में अनुमन्य मात्रा से अधिक साधारण बालू का अवैध खनन पाये जाने पर कार्यालय पत्र संख्या 809/ख0लि0/2023 दिनांक 09 जून, 2023 मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 21.06.2023 में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर द्वारा नोटिस का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 23.06.2023 को कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित किया गया कि सन्दर्भित नोटिस दिनांक 10.06.2023 को कम्पनी के पूर्व निदेशक श्री सुशांत पंवार के हाल निवास ए–46 मंगल भवन, सेक्टर–50, नोएडा के पते पर प्राप्त हुआ था, जो कि दिनांक 02.01.2023 को ही निदेशक के पद से त्याग पत्र दे चुके है। दिनांक 07.06.2023 को कम्पनी को समाचार–पत्रों के माध्यम से सूचना मिली कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है परन्तु कम्पनी द्वारा अनुमति से अधिक खनन कार्य करने के कारण उपजिलाधिकारी द्वारा कुछ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौका

............क्रमशः 2 पर

मुआयना किया गया तथा 50 डम्पर एवं 12 पॉकलेन सहित एक फोर्च्यूनर कार सहित कुछ ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किये गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न तो कोई अनुज्ञा हेतु आवेदन किया और न ही अनुज्ञा हेतु कोई रायल्टी ही जमा की गयी है।

03– मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर द्वारा नोटिस दिनांक 09.06.2023 के संबंध में प्रस्तुत किया गया प्रतिउत्तर, पोर्टल पर अपलोड आवेदन एवं तहसीलदार, खेकडा की रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली–2021 के नियम 3 व 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 व अनुज्ञा–पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर के पक्ष में ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 एवं 400 कुल रकबा 1.3900 है0 में से 20000 घनमीटर साधारण बालू हटाने हेतु दिनांक 27.04.2023 में 03 माह तक स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र को तत्काल प्रभाव से आदेश दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया गया है।

04– आदेश दिनांक 12.07.2023 के विरूद्ध मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर प्रशांत पंवार पुत्र श्री महेश पवांर निवासी 16/17 प्रथम तल, सेक्टर 41 नोएडा एवं ए–46, मंगल भवन अपोजिट ए0टी0एस0 पार्क, सेक्टर 50 नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 27135/2023 योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12.10.2023 को आदेश पारित किये गये। आदेश दिनांक 12.10.2023 का कियान्वयात्मक अंश निम्नवत है:–

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2023

"In this view of the matter, we are of the definite view that the order dated 12th July, 2023 connot be sustained in the eyes of law and thus deserves to be set aside. We accordingly, Quash the order dated 12th July, 2023 and remand the matter back to the District Magistrate who shall in accordance with law after considering the objection which was filed by the petitioner on 21st June, 2023 decide the matter afresh by passing a speaking and a reasoned order"

"We also make it clear that such documents which have been received by the petitioner by way of instructions, which the learned Standing Counsel had supplied on 8th August, 2023 and 5th September, 2023 and did not form a part of notice, may also be explained by the petitioner by an additional reply"

05- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश दिनांक 12.10.2023 के अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को पुनः अपना लिखित कथन/पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 02.11.20223 को नोटिस निर्गत किया गया। जिसके अनुपालन में मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा दिनांक

..............क्रमशः 3 पर

09.11.2023 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। उक्त के अतिरिक्त कम्पनी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपने उत्तर दिनांक 21.06.2023 व वर्तमान में प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 09.11.2023 में मुख्य रूप से अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये–

क– यह कि उनके द्वारा दिनांक 03.10.2019 को अपने गाटा संख्या 403, 404, 405, 406, 393, 399, 400, 416, 417, 413, 414, 415, 407, 446, 423, 422 व 421 ग्राम सुभानपुर, तहसील खेकडा रकबा 4.8830 है0 हेतु जिला प्रशासन को इस आशय से सहमति प्रदान की गयी थी कि यदि प्रशासन चाहे तो उक्त गाटा संख्या बाढ के कारण आये बालू रेत को किसी भी अन्य को नीलाम कर दे ताकि उक्त भूमि पर पुनः कृषि कार्य किया जा सकें। जिसके कम में प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण कम्पनी द्वारा 25.08.2020 को उक्त गाटा संख्या में निजी भूमि हेतु स्वयं 40000 घनमीटर खनन करने हेतु आवेदन किया गया। परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उक्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नही की गयी जिस कारण कम्पनी को उपरोक्त कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त ही पडी रही।

ख– यह कि दिनांक 07.06.2023 को प्रार्थी कम्पनी को दैनिक समाचार के माध्यम से सूचना मिली कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है।

ग– यह कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि उनके द्वारा न तो कोई आवेदन किया गया है और न ही कोई रायल्टी जमा की गयी है।

घ– यह कि उपरोक्त फर्जी आवेदन में खनिज की मात्रा 12000 घनमीटर हेतु आवेदन किया है जबकि नोटिस/आदेश दिनांक 09.06.2023 व 12.07.2023 के अनुसार खनन स्वीकृति 20000/–(बीस हजार) घनमीटर की दर्शायी गई है। उपरोक्त Hard Copy को कार्यालय में जमा कराते हुए किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर भी नही है। मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के पेन कार्ड संख्या AAGCA5329M की छायाप्रति पर सुशांत पंवार पुत्र महेश पुवार के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है। हस्तलिपि विशेषज्ञ से हस्ताक्षरो का मिलान कराने पर पाया गया कि सुशांत पंवार के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये है।

ङ– यह कि उक्त प्रार्थना पत्र में पूर्व ऑनलाईन प्रार्थना पत्र में दर्शित 12000 घनमीटर के इतर खनन की अनुज्ञा 18000 घनमीटर के लिए चाही गई है, जो कि प्रदर्शन करता है कि आवेदक द्वारा जहॉ जो चाहा लिख दिया परन्तु खनन अनुभाग द्वारा इस पर न तो कोई ध्यान दिया और न ही उक्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करने की अथवा डाक द्वारा पत्राचार करने की अथवा उक्त व्यक्ति जो खनन अनुज्ञा चाह रहा है उसका पता भी प्रमाणित करने की आवश्यकता समझी और कुल 20000 घनमीटर हेतु अनुज्ञा जारी कर दी गयी।

..........क्रमशः 4 पर

च– यह कि उपनिरीक्षक आदित्य कुमार द्वारा अपनी आख्या में जब्त 50 डम्पर, 12 पॉकलेन व 3 ट्रैक्टर तथा 01 फॉर्च्यूनर गाडी में कोई भी वाहन मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 का नही पाया गया। फॉर्च्यूनर गाडी UP14EQ6679 के मालिक सुधीर राठी पुत्र रघुवीर सिंह निवारी 187, ईस्ट एण्ड अंसल ट्रानिका सिटी, लोनी देहात गाजियाबाद पाये गये जो कि उपरोक्त फर्जीवाडे का मुख्य संदिग्ध व्यक्ति है। सम्भवतः उक्त व्यक्ति द्वारा उनके मोबाईल नम्बर 8000400052 पर MM11 हेतु OTP भी Generate कराया हो सकता है।

छ– कोषागार प्रपत्र 201(1) जो कि कोषागार में रू0 26,00,000/–लाख रूपये नकद जमा कराने विषयक है जिस पर न तो जमाकर्ता का नाम है और न ही जमाकर्ता द्वारा कोई हस्ताक्षर किया है। बैंक स्टेटमेंट में भी पूरे वर्ष में इतनी बडी रकम की धनराशि उपलब्ध नही है।

ज– यह कि आवेदन दिनांक 11.04.2023 में ऑनलाईन के माध्यम से किया गया इसी दिनांक 11.04.2023 को ही लेखपाल खेकडा, राजस्व निरीक्षक, खेकडा व तहसीलदार, खेकडा द्वारा समस्त आख्या प्रस्तुत कर दी गयी जो कि बिना किसी खनन विभाग के उच्चाधिकारी से मिलीभगत के सम्भव नही है इससे स्पष्ट है कि किसी बडी साजिश के उपरोक्त फर्जीवाडा किया गया है।

6– उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जो साक्ष्य या अभिलेख उपलब्ध है उनके प्रकाश में इनके तर्को का प्रतिकार इस प्रकार है। मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपने उत्तर के बिन्दु संख्या "क" में दिनांक 03.10.2019 को गाटा संख्या 403, 404, 405, 406, 393, 399, 400, 416, 417, 413, 414, 415, 407, 446, 423, 4221 व 421 ग्राम–सुभानपुर, तहसील–खेकडा रकबा 4.8830 है0 में बाढ के कारण आये बालू रेत को किसी अन्य को नीलाम करने के संबंध में व उनके द्वारा दिनांक 25.08.2020 को उक्त गाटा संख्या में निजी भूमि हेतु स्वयं 40000 घनमीटर खनन करने हेतु आवेदन संबंधी कथन सही है। किन्तु उक्त आवेदन तत्कालीन खान अधिकारी, बागपत की संलग्न आख्या दिनांक 10.12.2020 के आधार पर निरस्त किया गया है। आवेदन निरस्त करने का मुख्य कारण इस प्रकार है कि प्रश्नगत भूमि में कौन–कौन सहखातेदार है तथा सहखातेदारो द्वारा अनापत्ति के संबंध में आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति हस्ताक्षर की पुष्टि नही करायी गयी है। उक्त खसरा नम्बरान में लगभग 20 काश्तकार है जिनकी सहमति/आपत्ति स्पष्ट नही है और न ही सहखातेदारो के खसरा नम्बरानों की कुर्रेबन्दी हुई है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि संलग्न खतौनी में सहखातेदार के रूप में अंकित कम्पनियों में श्री महेश पवांर डायरेक्टर है, जिन पर खनन विभाग का बकाया वर्तमान में भी है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बरानों से ई–निविदा के माध्यम से बालू खनन अनुज्ञा पत्र

.............क्रमशः 5 पर

दिया जाना संभव नही है। उत्तरदाता द्वारा कहना कि जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, बिल्कुल असत्य है व उत्तरदाता का यह कथन केवल भ्रमित करने के उद्देश्य से किया जाना प्रतीत होता है।

07– यह कि बिन्दु संख्या "ख" में उत्तरदाता द्वारा यह कहना कि प्रार्थी कम्पनी को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा कोई खनन पट्टा 20000 घनमीटर हेतु लिया गया है कतई असत्य कथनों पर आधारित है क्योंकि परमिट में उल्लिखित भूमि मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 की है और उक्त भूमि पर खनन कार्य लगभग दो माह से चल रहा था जिसके बारे में कम्पनी को जानकारी न होना सम्भव नही है। उक्त समस्त कार्यवाही मै0 अंजनिसुत इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु की गयी है जिसमें असत्य तथ्यों के आधार पर जैसे कि उक्त भूमि नदी तल में स्थित है परन्तु आवेदन कर्ता द्वारा कृषि भूमि दर्शाकर आवेदन किया गया है।

08– यह कि बिन्दु संख्या "ग", "घ" व "ड" में उत्तरदाता का यह कथन कि उनके द्वारा कोई आवेदन नही किया गया और न ही कोई रायल्टी जमा की गयी है बिल्कुल असत्य है क्योंकि प्रार्थी कम्पनी द्वारा upminemitra portal पर निर्धारित फीस अंकन 2000/–रूपये जमा करने के उपरान्त 12000 घनमीटर साधारण बालू खनन हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है तथा हार्ड कॉपी में 18000 घनमीटर साधारण बालू खनन हेतु आवेदन किया गया है। खनिज की मात्रा, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति व उपखनिज की उपलब्धता पर निर्धारित होती है जिसमें मात्रा कम या ज्यादा की जा सकती है। उत्तरदाता के कार्यालय में प्रस्तुत किये गये आधार कार्ड व पैनकार्ड पर हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवेदक द्वारा इसके अतिरिक्त प्रस्तुत खनन योजना में 26423 घनमीटर उपखनिज साधारण बालू उपलब्ध होने की पुष्टि की गयी है। इस प्रकार उत्तरदाता का उक्त कथन पूर्णतः असत्य एवं निराधार प्रतीत होता है।

09– यह कि यह कि बिन्दु संख्या "च" में उत्तरदाता द्वारा यह कहना कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा उपनिरीक्षक आदित्य कुमार की आख्या का व्याख्यान किया गया है जिसमें 50 डम्पर, 12 पॉकलेन मशीन व 3 ट्रेक्टर तथा फॉर्च्यूनर गाडी का वर्णन है। फॉर्च्यूनर गाडी UP14EQ6679 जो कि सुधीर राठी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी 187, ईस्ट एण्ड अंसल ट्रानिका सिटी, लोनी देहात, गाजियाबाद के नाम पर पंजीकृत है के संबंध मे थाना–खेकडा, जनपद–बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जिसकी विवेचना प्रगति में है। विवेचना में जो तथ्य प्रकाश में आयेगें वह आदेश का भाग होगें।

10– यह कि बिन्दु संख्या "छ" में उत्तरदाता का यह कथन कि कोषागार प्रपत्र 201 (1) जो कि कोषागार में रू0 26,00,000/–लाख रूपये नकद जमा कराने विषयक है जिस पर न तो जमाकर्ता का नाम है और न ही जमाकर्ता द्वारा

..............क्रमशः 6 पर

कोई हस्ताक्षर किया है। बैंक स्टेटमेंट में भी पूरे वर्ष में इतनी बडी रकम की धनराशि उपलब्ध नही है। उत्तरदाता का यह कथन बिल्कुल असत्य एवं निराधार है क्योंकि इतनी बडी धनराशि कोई बिना किसी कारण के जमा नही कर सकता है।

11– यह कि बिन्दु संख्या "ज" में उत्तरदाता का यह कथन कि यह कि आवेदन दिनांक 11.04.2023 में ऑनलाईन के माध्यम से किया गया इसी दिनांक 11.04.2023 को ही लेखपाल खेकडा, राजस्व निरीक्षक, खेकड़ा व तहसीलदार, खेकड़ा द्वारा समस्त आख्या प्रस्तुत कर दी गया जो कि बिना किसी खनन विभाग के उच्चाधिकारी से मिलीभगत के सम्भव नही है। जहाँ तक एक ही दिन में समस्त कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है ऐसा किया जा सकता है क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता किसी भी शासनादेश में नही है कि एक ही दिन समस्त कार्यवाही नही की जा सकती।

12– यह कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य सामने आया है कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत आवंटित अनुज्ञा पत्र के प्राविधानो का उल्लंघन करते हुए स्वचलित मशीनों जैसे पौर्कलेन आदि के माध्यम से नियम व प्रक्रिया के विपरीत जाकर खनन कार्य किया गया है। कुल आवंटन 20000 घनमीटर के सापेक्ष निरीक्षण के दिनांक तक ही 44623 घनमीटर बालू का खनन व परिवहन कार्य किया जाना पाया गया है, जो कि आवंटित मात्रा के दो गुना से भी अधिक है। ग्राम सुभानपुर के गाटा संख्या 397, 398, 399 व 400 कुल रकबा 1.3900 है0 के स्थान पर 72316 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 22073 है0 में खनन किया गया है, जो कि आवंटन क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक है तथा अनुमति प्राप्त क्षेत्र से बाहर है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा अनियमित खनन व परिवहन करने वाले अन्य वाहन स्वामियों के चालको से साज करके आवंटन के विपरीत व मानको के विपरीत खनन कार्य किया गया है, जो कि अविधिक है व खनन नियमावली व स्थनीय क्षेत्र की परिस्थितियों के सर्वथा प्रतिकूल है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा किये गये अनियमित कार्यो की गंभीरता व मौके पर पकडे गये वाहनो की संख्या व खनन विभाग के वरिष्ठ सर्वेक्षक एवं अन्य व्यक्तियों की सयुंक्त आख्या में इंगित किये गये क्षेत्रफल इत्यादि से भी यह विदित होता है कि आपके द्वारा आवंटन के समस्त प्राविधानो के विपरीत अनियमित कार्य करते हुए राजस्व की भारी क्षति की गयी है। मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 को निर्गत परमिट समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्वतः ही निरस्त हो चुका है।

13– यह कि मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस उत्तर दिनांक 21.06.2023 एवं 09.11.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा स्वीकृत खनन

............क्रमशः 7 पर

अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित शर्तो का उल्लंघन किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खनन व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार बालू की रायल्टी दर रूपये 65/–प्रति घनमीटर की दर से 24623 घनमीटर साधारण बालू के लिए अवैध खनन की रायल्टी दर व मूल्य अंकन 96,02,970/–रूपये(छियानवे लाख दो हजार नौ सौ सत्तर रूपये मात्र) व अर्थदण्ड 5 लाख रूप्ये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 11,03,650/–(ग्यारह लाख तीन हजार छः सौ पचास रूपये मात्र)रू0 कुल अंकन 1,07,06,620/–(एक करोड सात लाख छः हजार छः सौ बीस रूपये मात्र) धनराशि आरोपित की जाती है। आरोपित धनराशि एक माह के अन्दर जमा न कराये जाने की स्थिति में विपक्षी से भू–राजस्व बकाया की भॉति मांग पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

(खनन अनुभाग)

पत्रांकः 1630 /एम0सी0–खनन अनुभाग/2023 दिनांकः 20 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
02–पुलिस अधीक्षक, बागपत।
03–अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खजिन, बागपत।
04–उपजिलाधिकारी/तहसीलदार खेकडा।
05–खान अधिकारी, बागपत।
06–अनुज्ञप्तिधारक मै0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 डायरेक्टर सुशांत पंवार पुत्र महेश पंवार निवासी 16/17 प्रथम तल सेक्टर 41 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

20.12.23

जिलाधिकारी,
बागपत।

सलग्नक-6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H05484/सी-3/ जल-766 / मेरठ /2024 दिनॉकः 30 /01/2024

सेवा मे, **पंजीकृत**

श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर,
निवासी-16/17, प्रथम तल, सेक्टर-41, नोएडा,
द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,
ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र.। (9897442060)

विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पट्ठाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर निवासी-16/17, प्रथम तल, सेक्टर-41, नोएडा निवासी ए-46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर-50 नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र. को क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ.ए. संख्या-410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या-411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-03.07.2023 के अनुक्रम में केन्द्रीय पदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार पट्ठाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी-16/17, प्रथम तल, सेक्टर-41, नोएडा निवासी ए-46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर-50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र. पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक-27.04.2023 से दिनांक-26.06.2023 तक अनुमन्य खनन- 20,000 घनमीटर के सापेक्ष किये गये कुल खनन-44,623 घनमीटर खनन व खनन परियोजना द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये 24,623 घनमीटर अवैध खनन Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित कर उक्त की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड के पत्र एच 01918/सी-3/जल-776/मेरठ/2023 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 29.12.2023 द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार खान अधिकारी, बागपत के पत्र संख्या 1659/ख0सहा0/2023 दिनांक 26.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बागपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2023 के विन्दु संख्या 13 में निंणित किया गया है कि इकाई मे0 अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र. द्वारा प्रस्तुत किये गये नोटिस उत्तर दिनांक 21.06.2023 एवं दिनांक 09.11.2023 एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों के आलोक में उक्त इकाई द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन किया गया। जोकि उ0प्र0 खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3 व 72 एवं खनन व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4/21 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, के अनुक्रम में जिलाधिकारी, बागपत द्वारा अवैध खनन की रायल्टी दर व मूल्य अंकन 96,02,970/- (रू0 छियानव लाख दो हजार नौ सौ सत्तर मात्र) व अर्थदण्ड 05 लाख रूपये प्रति हैक्टयर की दर से अंकलन 11,03,650/- रू0 कुल अंकन 1,07,06,620 (एक करोड़ सात लाख छः हजार छः सौ बीस मात्र) धनराशित अधिरोपित की गयी है। इस प्रकार इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र. को दोषी माना गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ के पत्र/आख्या दिनांक 29.12.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बागपत के आदेश के आलोक में इकाई का प्रत्यावेदन दिनांक 06.11.2023 को बलहीन मानते हुए इकाई के विरूद्व बोर्ड के पत्र संख्या एच 01918/सी-3/जल-776/मेरठ/2023 दिनांक 13.10.2023 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 29.12.2023 के परिप्रेक्ष्य में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ.ए. संख्या-410/2023 विपिन बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं ओ.ए. संख्या-411/2023 बिजेन्दर धामा बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.07.2023 के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित की गयी मैथॉडोलॉजी के अनुसार पट्ठाधारक श्री सुशांत पंवार पुत्र श्री महेश पंवार, डायरेक्टर, निवासी-16/17, प्रथम तल, सेक्टर-41, नोएडा निवासी ए-46, मंगल भवन अपोजिट ए.टी.एस. पार्क, सेक्टर-50, नोएडा गौतमबुद्धनगर द्वारा संचालित खनन पट्टा इकाई मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम-सुभानपुर, जनपद-बागपत, उ.प्र. पर सक्षम

(2)

अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दिनांक–27.04.2023 से दिनांक–26.06.2023 तक अनुमन्य खनन– 20,000 घनमीटर के सापेक्ष किये गये कुल खनन–44,623 घनमीटर खनन व खनन परियोजना द्वारा बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये 24,623 घनमीटर अवैध खनन Approach 2- Rs. 3,19,72,911/- (रुपये तीन करोड उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अर्थदण्ड अधिरोपित की जाती है तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, वैभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता सख्या–701502010002104, IFSC कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करे अन्यथा की दशा मे अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भांति वसूली कराये जाने की कार्यवाही पारम्भ कर दी जायेगी।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रस्तुत करे।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बागपत।
3. विधि अधिकारी, प्रथम, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. खनन अधिकारी, बागपत।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मैसर्स अंजनिसुत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., ग्राम–सुभानपुर, जनपद–बागपत, उ.प्र. पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य बोर्ड के खाते मे जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

9(2)8